राजस्व विविध प्रा०पत्र सं० 87/2025 लक्ष्मणसिंह बनाम सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रा0पत्र संख्याः— 87 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. लक्ष्मण सिंह पुत्र भूरसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी गुर्जरों का बास, खोखरा तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री महावीर प्रसाद मेवाड़ा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 07/07/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गांव खोखरा पटवार हल्का खोखरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के खाता सं0 448 के ख0नं0 813, 931, 932, 934 कुल खसरा 04 कुल रकबा 5.6500 है0 की आयी हुई स्थित है। वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/3 खातेदारी हक हिस्सा हैं। प्रार्थना पत्र के पद संख्या में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी की विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस कृषि भुमि का उपयोग उपभोग लगातार बिना किसी बाधा अडचन के चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उक्त वर्णित आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारीयों द्वारा बिना प्रार्थी के सही एवं वास्तविक नाम के दस्तावेज का अवलोकन किये व सद्भाविक भूलवश प्रार्थी के दस्तावेजी व सही वास्तविक नाम दर्ज नहीं कर लक्ष्मण पुत्र भुरा दर्ज कर दिया गया तथा प्रार्थी को जानकारी नहीं होने से राजस्व रेकर्ड के दस्तावेजों की जानकारी के अभाव में उक्त संशोधन हेतु पूर्व में कार्यवाही नहीं कर सका। जबकि प्रार्थी का वास्तविक दस्तावेजी नाम लक्ष्मण सिंह पुत्र भुरसिंह जाति रावणा राजपुत है। प्रार्थी को गांव परिवार समाज में लक्ष्मण सिंह पुत्र भुरसिंह जाति रावणा राजपुत के नाम से भी जाना व पहिचाना जाता है। बल्कि प्रार्थी के स्वयं आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज में भी प्रार्थी का नाम लक्ष्मण सिंह पुत्र भुरसिंह जाति रावणा राजपुत ही दर्ज है। प्रार्थी उक्त सद्भाविक त्रुटि को उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी लक्ष्मण पुत्र भुरा के स्थान पर लक्ष्मण सिंह पुत्र भुरसिंह जाति रावणा राजपुत दुरस्त किये जाने से राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नहीं

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)

पड़ेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। इस अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रा0पत्र पेश कर सरहद मौजा खोखरा खसरा नंबर 813, 931, 932, 934 के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम लक्ष्मण पुत्र भुरा के स्थान पर लक्ष्मण सिंह पुत्र भुरसिंह जाति रावणा राजपुत के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा खोखरा में स्थित होना, पैरा सं0 2 व 3 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 04 से 05 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

वादग्रस्त कृषि भूमि के मौका एवं राजस्व रेकर्ड की जांच हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/रीडर/2025/784 दिनांक 09.06. 2025 के जरिये लक्ष्मण पुत्र भुरा एवं लक्ष्मणसिंह पुत्र भुरसिंह दोनो एक ही व्यक्ति हैं। अतः लक्ष्मण पुत्र भुरा के स्थान पर लक्ष्मणसिंह पुत्र भुरसिंह शुद्धि किया जाना उचित है, की रिपोर्ट पेश की। सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम लक्ष्मण पुत्र भुरा के स्थान पर लक्ष्मण सिंह पुत्र भुरसिंह जाति रावणा राजपुत के अंकित कर राजस्व रेकर्ड में संशोधन किया जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट, अन्य दस्तावेजात का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः लक्ष्मण पुत्र भुरा एवं लक्ष्मणसिंह पुत्र भुरसिंह दोनो एक ही व्यक्ति हैं। अतः लक्ष्मण पुत्र भुरा के स्थान पर लक्ष्मणसिंह पुत्र भुरसिंह शुद्धि किया जाना उचित है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात जैसे पैन सं0 PTEPS4435R, आधार सं0 5791 2078 0602 तथा परिवार राशन कार्ड इत्यादि में लक्ष्मण सिंह पुत्र भूरसिंह दर्ज हैं। जिससे लक्ष्मण पुत्र भुरा तथा लक्ष्मणसिंह पुत्र भूरसिंह दोनो एक ही व्यक्ति होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा प्रार्थित भूमि में दर्ज लक्ष्मण पुत्र भुरा के स्थान पर सही व वास्तविक नाम लक्ष्मणसिंह पुत्र भूरसिंह दुरूस्त रूप से इन्द्राज़ किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)

राजस्व विविध प्रा०पत्र सं० 87/2025 लक्ष्मणसिंह बनाम सरकार

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गांव खोखरा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के खाता सं0 448 के ख0नं0 813, 931, 932, 934 कुल खसरा 04 कुल रकबा 5.6500 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमावंदी में दर्ज लक्ष्मण पुत्र भुरा के स्थान पर सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम लक्ष्मणसिंह पुत्र भूरसिंह जाति रावणा राजपुत दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 07/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)